Dir/DD

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 2011/आषाढ़ 25, 1933
No. 394] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 2011/ASADHA 25, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 540(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह 'क', राजपत्रित, तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2002 को, जहाँ तक उसका संबंध निदेशक और उप-निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में निदेशक और उप-निदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू.**—ये नियम उन पदों को लागू होंगे जो इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक	10* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-3 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 7600 ₹	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1.**–केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2.**–आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिकी या इलेक्ट्रोनिकी या टेलीकम्यूनिकेशन अथवा इलेक्ट्रोनिकी और कम्यूनिकेशन में इंजीनियरी डिग्री या समतुल्य; और (ii) किसी इंजीनियरी संगठन में समूह 'क' के पद पर दस वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1.**–अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2.**–अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।

(7)

वांछनीय :

समुद्री नौचालन सहायताओं के प्रशासन और अनुरक्षण या प्रचालन का अनुभव ।

भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** **वेतन बैंड** 3; 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 6600 ₹ में ऐसे उप-निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे उप-निदेशक जिन्होंने उप-निदेशक और सहायक कार्यपालक इंजीनियर (वेतन बैंड 3; 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 5400 ₹) की श्रेणियों में दस वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है जिसमें से उप-निदेशक के रूप में तीन वर्ष नियमित सेवा हो । **टिप्पण 1** :—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति** (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :— केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 3; 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 6600 ₹ या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं । **टिप्पण 1**:—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी प्रक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

	(11)
	टिप्पण 2:–प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी) । **टिप्पण 3 :**–प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 4 :**–प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —सदस्य 3. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत —सदस्य	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप-निदेशक	15* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन बैंड-3 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 6600 ₹	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1 :**–केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :**–आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिकी या इलेक्ट्रोनिकी या टेलीकम्यूनिकेशन अथवा इलेक्ट्रोनिकी और कम्यूनिकेशन इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य; और (ii) नौचालन सहायता परियोजना के संनिर्माण, संस्थापन, अनुरक्षण और प्रचालन के क्षेत्र में समूह 'क' के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2** :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यताएं : हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।

(10)	(11)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड 3; 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 5400 ₹ में ऐसे सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1** :—प्रोन्नति के लिए सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल या इलेक्ट्रोनिकी अथवा यांत्रिकी) की पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विषय में (इलेक्ट्रोनिकी या सिविल अथवा यांत्रिकी) में अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2** :—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3** :—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :— केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 3; 15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 5400 ₹ या समतुल्य वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और

2663 GI/11-2

(11)
(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।
टिप्पण 1:—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
टिप्पण 2:—प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।
टिप्पण 3 :—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 4 :—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत —अध्यक्ष 2. उप-महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत —सदस्य 3. निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत —सदस्य टिप्पण :—ज्येष्ठतम उप महानिदेशक और ज्येष्ठतम निदेशक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 3/3/98-प्रशा. I]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2011

G.S.R. 540(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group 'A' Gazetted, Technical Posts) Recruitment Rules, 2002, insofar as they relate to the posts of Director and Deputy Director, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director and Deputy Director in the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed herewith.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect relaxation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director	10* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, non-ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 7600	Selection	Not exceeding 50 years. Note 1:—Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Essential Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Degree in Civil or Mechanical or Electronics or Telecommunication or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent; and (ii) ten years experience in Group 'A' post, in an Engineering organization. **Note 1.**— Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reason to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.**—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reason to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if any, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** Experience in Administration and maintenance or operation of aids to marine navigation.	Age : No. Educational qualifictions : Yes	One year for direct recruits.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including Short Term Contract) failing both by direct recruitment	**Promotion :** Deputy Director in the Pay Band 3 ₹15600-39100 with Grade pay of ₹6600 with five years regular service in the grade failing which Deputy Directors with ten years combined regular service in the grades of Deputy Director and Assistant Executive Engineer (Pay Band 3 ₹15600-39100 with grade pay of ₹5400) out of which three years regular service shall be as Deputy Director. Note 1.—Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2.**—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission

(11)

recommendations have been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract) :—

Officers under the Central or State or Union Territory Government or Statutory organisations :—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band 3 ₹15600-39100 with grade pay of ₹ 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.—The Period of deputation (short-term contract) including period of deputation (short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3.—The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4.—For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission. —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Shipping. —Member 3. Director General of Lighthouses and Lightships. —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including Short Term Contract).

2663 GI/11—3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Director	15* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, non-ministerial	Pay Band-3, ₹15600-39100 + Grade Pay ₹7600	Selection	Not exceeding 40 years. **Note 1:**—Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard. **Note 2 :**—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Division of Chamba District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Degree in Civil or Mechanical or Electronics or Telecommunication or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent; and (ii) five years experience in Group 'A' post, in the field of construction, installation, maintenance and operation of Aids to Navigation projects. **Note 1.**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reason to be recorded in writing in case the candidates otherwise well qualified. **Note 2.**—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reason to be recorded in writing in case the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if any, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age : No. Educational qualification : Yes	One year for direct recruits.

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including Short Term Contract) failing both by direct recruitment	**Promotion :** Assistant Executive Engineer in the Pay Band 3 ₹15600-39100 with Grade Pay of ₹5400 with five years regular service in the grade. **Note 1.**—The eligibility list of Assistant Executive Engineer (Civil or Electronics or Mechanical) for promotion will be prepared with reference to date of comletion of the qualifying service in respective discipline (Electronics or Civil or Mechanical) by the officers. **Note 2.**—Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying

(11)

or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3.—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract) :—

Officers under the Central or State or Union Territory Government or Statutory organisations :—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band 3 ₹15600-39100 with grade pay of ₹ 5400 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.—The period of deputation (including (short term contract) including period of deputation (short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3.—The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4.—For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation on the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

(12)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion), consisting of :—

1. Director General of Lighthouses and Lightships —Chairman
2. Deputy Director General of Lighthouses and Lightships —Member
3. Director of Lighthouses and Lightships. —Member

Note :— Senior most Deputy Director General and Senior most Director will act as member.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (including short term contract).

[F. No. 3/3/98-Admn-I]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2011/आश्विन 7, 1933

No. 549] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2011/ASVINA 7, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 732(अ).—भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 540(अ) के अंग्रेजी पाठ में जिसमें पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, समूह 'क' पदों के भर्ती नियम, 2011 को अधिसूचित किया गया है, में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

(i) अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ के कॉलम 3 में शब्द "posrs" को शब्द "posts" पढ़ा जाए ।

(ii) उप निदेशक पद हेतु क्रम संख्या 2, अनुसूची के कॉलम 4 में "वेतन बैंड 3 ₹ 15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 7600" को "वेतन बैंड-3, ₹15600-39100 + ग्रेड वेतन ₹ 6600" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 3/3/98-प्रशा-1]

राजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th September, 2011

G.S.R. 732(E).—In English version of the Government of India, Ministry of Shipping Notification No. 540(E), dated 15th July, 2011 notifying the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2011, the following shall be substituted :—

(i) In column 3 notification of English version the word "posrs" may be read as "posts".

(ii) At S. No. 2 for the post of Deputy Director, in col. 4 of the Schedule, "Pay Band-3 ₹ 15600-39100+Grade Pay ₹ 7600" may be read as "Pay Band-3, ₹15600-39100+Grade Pay ₹ 6600".

[F. No. 3/3/98-Admn-I]

RAJEEV GUPTA, Jt. Secy.

3658 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.